1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 51/2018
जी.सी.एम.एस. नं.: 2018/00086

1. शिमला पुत्री सुलतानराम पत्नी झाबरमल जाति जाट निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर

—प्रार्थी

बनाम

1. सुलतानराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर
2. बृजलाल पुत्र सुलतानराम जाति जाट निवासी गोमावाली तहसील श्रीविजयनगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री ओम धायल, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री प्रेम चुघ, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1—2

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 28.03.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. प्रार्थी द्वारा मूल वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी सं. 1 सुलतानराम के नाम से चक 8 जीएम मु.नं. 4 प.नं. 183/50 कि.नं. 11 ता 13, 16 ता 25 का 3.163है. भूमि कमाण्ड खातेदारी दर्ज है। भूमि वादीया एंव अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की संयुक्त हिन्दू परिवार की अर्जित आय से बनायी गयी एंव अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त सम्पति को विक्रय कर उससे प्राप्त आय से बनायी गयी है। जो कि अप्रार्थी सं. 1 के परिवार के मुखिया होने के नाते से उनके नाम से दर्ज करवायी हुई है। भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है एंव जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है। जिसमें प्रार्थीया का जन्म से हक व हिस्सा है। सुलतानराम के प्रार्थीया एंव अप्रार्थी सं. 2 दो ही सन्ताने है इस प्रकार उक्त भूमि में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा बनता है जिसकी जरीये वाद स्वंय को खातेदार टेनेन्ट घोषित करवाने के प्रार्थीया विधिक अधिकारी है। प्रार्थीया की माता का देहान्त हो चुका है। अप्रार्थी सं. 1 नशा प्रवृति का है एंव हमेशा नशे में विलीन रहता है एंव किसी प्रकार उक्त भूमि की सार सम्भाल नहीं करता है व प्रार्थीया के द्वारा ही उक्त भूमि की सार सम्भाल की जाती है एंव हर प्रकार से काश्त व सुधार आदि भी प्रार्थीया के द्वारा ही काफी अर्सा पूर्व से करवाया जा रहा है। उपरोक्त को अपना मानते हुए प्रार्थीया के द्वारा उक्त भूमि में अपना अथाह धन व परिश्रम खर्च कर इसे सवारा सुधारा व कृषि योग्य बनाया है व अनेक सुविधाए स्थापित की है। वादी के द्वारा किये गये सुधारों की बदोलत भूमि की कीमतो में आशातित वृद्धि हो गयी है। प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को अनेक अवसरों पर उसे जद्दी जायदाद में से प्रार्थीया का बनने वाला हिस्सा 1/3 हिस्सा भूमि को प्रार्थीया के नाम से दर्ज करवाने बाबत कहा जाता रहा है जिस पर अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा आश्वासन दिया कि भूमि ... प्रकार से सार सम्भाल व काश्त तुम ही कर रही हो भूमि तुम्हारी ... मैं ... अपने साथ लेकर नहीं जाना है जब कभी गांव में ... तहसीलदार के समक्ष ब्यान देकर भूमि बाहमी ... हिस्सानुसार दर्ज करवा लेगे घबराने की कोई बात नहीं है। जिस पर प्रार्थीया सद्भावी विश्वास करती रही एंव समय व्यतित होता रहा है। किन्तु अप्रार्थी सं. 1 जो कि नशा करने के आदी है एंव विलासिताओं में विलीन रहते है अपनी विलासिताओं को पूर्ण करने के लिए व कुछ लोगो के बहकाव में आकर आज से अर्सा करीब 15 रोज पूर्व अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि में अपने साथ कुछ

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:27:08 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

व्यक्तियों को लेकर आए और उक्त भूमि दिखाकर भूमि की विकवाली निकालने बाबत कहने लगे तब प्रार्थीया ने कहा कि उक्त भूमि तो प्रार्थीया के कब्जा काश्त की है एंव प्रार्थीया का इसमें हिस्सा है इस भूमि को प्रार्थीया किसी प्रकार विकय नहीं करना चाहते है आप अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज भूमि का विधिक विभाजन किये बिना व किलावाईज भूमि दर्ज करवाये बिना भूमि को विक्रय आदि नहीं करे तो अप्रार्थी सं. 1 ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया एंव ऐलानिया धमकी दी कि वे उक्त भूमि रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाते हुए उसे अन्य व्यक्ति को ओने पोने दामो में विकय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर प्रार्थीया को प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि से महरूम एंव बेदखल जबरन कर देगे एंव भू माफिया लौगो को उक्त भूमि पर काबिज कर देगे। बस यही तारीख बिनाए मुखासमत वाद कारण है। अप्रार्थी प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन बलपूर्वक विधि विरुद्ध तरीको से काबिज होना चाहते है एंव प्रार्थीया को बेदखल जबरन करना चाहते है जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। व उक्त भूमि अपने नाम से होने का नाजायज लाभ उठाते हुए उक्त भूमि या इंसके किसी भाग को अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने पर आमादा है यदि अप्रार्थी अपने विधि विरूद्ध कृत्यो में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीया को अपने साधिकार कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि से बेदखल होना पड़ेगा एंव अपने हक वा हिस्सा की भूमि से महरूम होना पड़ेगा जिससे प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एंव काश्त में भारी असुविधा होगी। तृतीय पक्षकार के हित सृजित होने से पक्षकारान के मध्य मुकदमावाजी बढेगी, खर्च बढेगा जबकि अप्रार्थीगण को अरथाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाने पर उनके हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थीया के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सतुलन, अपूर्णीय क्षति तीनो ही महत्वपूर्ण विन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है एंव पूर्ण कोर्टफीस पर अन्दरमियाद पेश है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अरथाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि विवादित भूमि 8 जी.एम. का मु. न. 4 प.न. 183/50 का कि.न. 11ता13, 16ता 25 का 3.163 हे. कमाण्ड भूमि या इसके किसी भाग को अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने व प्रार्थीया के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा करने से बाज एंव ममनू रहने तथा मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 व 2 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति नहीं है। ना पुर्वज की सम्पति को विक्रय करने यह सम्पति खरीदी गई है। विदित हो उक्त सम्पति अप्रार्थी की स्वम् अर्जित सम्पति है जो अप्रार्थी सख्या 1 को आवटिंत हुई है। ना तो यह खरीदी गई है। ना ही पूर्वजो से प्राप्त हुई है। यह जददी जायदाद की श्रेणी में नहीं आती है। अप्रार्थी सं. 1 के जिन्दा रहते प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नही होता है। अप्रार्थी ने मेहनत मजदूरी करके इस भूमि को सिंचाई योग्य बनाया है। प्रार्थीया को पाल पोस कर बड़ा किया है। जिसके मन में जमीन के प्रति लालच जाग गया है। लिखी गई बातों बनावटी है झूठी है। सम्पत्ति अप्रार्थी को आवंटित हुई है। शुरू से ... काश्त करता आ रहा है प्रार्थीया का ... नहीं है ना ही कानूनी ... अप्रार्थी के जीवित रहते कोई हक ... हिस्सा ... अर्जित सम्पत्ति में बनता है। प्रार्थी के पक्ष में ... प्रकरण नहीं बनता है। भूमि अप्रार्थी के उपयोग एवं ... को उपयोग एवं उपभोग से रोका जाता है तो अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति ... लिगली तौर पर कानूनी अधिकारों को हनन होगा। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष अपनी अपनी बजस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। अधिवक्ता प्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि परिवार के मुखिया होने

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:27:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के नाते पारिवारिक सदस्यों के आधार पर अप्रार्थी के नाम से दर्ज हुई है, सम्पति संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से बनायी गयी है। जो प्रार्थीया की जददी जायदाद है, जिसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हक व हिस्सा है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी पारित नहीं की जाती है तो अप्रार्थी द्वारा भूमि रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम से दर्ज होने का बेजा फायदा उठाते हुए अन्यत्र बेचान कर दी जाती है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी पारित करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी को आवंटित हुई थी जो अप्रार्थी की स्वः अर्जित सम्पति है, प्रार्थीया अप्रार्थी के जीवनकाल में भूमि में से हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी भूमि के खातेदार टिनेन्ट है। खातेदार टिनेन्ट के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीया का कथन है कि भूमि उनकी जद्दी जायदाद है, जो हिन्दु संयुक्त परिवार की आय से बनायी गयी है तथा परिवार का मुखिया होने के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा भूमि स्वंय की स्वअर्जित सम्पति होने का कथन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति राजस्व रिकार्ड जमांबदी अनुसार भूमि अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति आवंटन आदेश दिनांक 08.05.1975 के अनुसार भूमि अप्रार्थी को आवंटित होना प्रतीत होता है। परन्तु विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से अर्जित किये जाने तथा विवादित भूमि में प्रार्थीया का हिस्सा होने अथवा नहीं होने का निर्णय मूल वाद में वाद विन्दू कायम कर उभयपक्ष साक्ष्य प्राप्त करने के उपरान्त गुणावगुण पर किया जाना है। विवादित भूमि अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड में दर्ज है यदि अप्रार्थी द्वारा भूमि का अन्यत्र रखे बैय अथवा अन्तरण कर दिया जाता है तो वाद विवाद बढ़ने की संभावना जिससे प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होना संभावित है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भूमि पर काश्त किये जाने का अंकन किया गया है जिस संवंध में प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा भूमि पर काश्त किये जाने के तथ्य से इंकार तो किया है लेकिन अप्रार्थी स्वयं के भूमि पर कब्जा काश्त संवंधित कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है, ऐसे में सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में है। न्यायालय की राय में मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी पारित की जानी उचित है।

—: आदेश :—

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वे मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी [illegible] के नाम से दर्ज विवादित भूमि चक 8 जीएम तहसील विजयनगर के मु[illegible] ..नं. 11से13,16से25 की कुल 3.163है. कमाण्ड भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.03.[illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:27:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner